

CIS. NO.1216/2022

शासन वि० हीरालाल डोंगरे

Witness No.....01.....for अभियोजन साक्ष्य

the 24.02.2024.....day of शनिवार..... Witness's apparent age ..38 वर्ष

States on affirmation ... शपथपूर्वक my name....रामजी गुप्ता

s/d/w/of . स्व०श्री महेश प्रसाद गुप्ता occupation ... नगर सैनिक क्र० 158

address ... चिरमिरी, थाना चिरमिरी, जिला एम०सी०बी० (छ०ग०)

समय: 03.50

01. मैं वर्ष 2022 को थाना चिरमिरी में सैनिक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 25.11.2022 को मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर खड़गवा की ओर से हनुमान मंदिर चिरमिरी आ रहा है। सूचना प्राप्त होने पर मैं उ०नि० गंगासाय पैकरा, साहिद और अन्य हमराह स्टाफ के साथ हनुमान मंदिर के पास घेरा बंदी आरोपी को पकड़े। तलाशी लेने पर उसके पास से मादक पदार्थ गांजा 250 ग्राम मिला जिसे लेकर थाना चिरमिरी गये। उ०नि० गंगासाय पैकरा द्वारा मुझे दो गवाह तलब करने के लिए बोला गया। गवाह को तलब करने गोदरी पारा की ओर रवाना हुआ। धीरज बक्सेल व सनी दोनों को साथ लेकर थाना गया। कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रपी० 01 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने पुलिस वालों को अपना बयान दिया था।

टीप- अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचारोपरांत अनुमति दी गयी-

02. आज मुझे याद नहीं कि जस मादक पदार्थ गांजा की कुल मात्रा 250 ग्राम में से 50 ग्राम सैम्पल के लिए लिया गया था व शेष गांजा को जस कर पृथक-पृथक शीलबंद कर नमूना शीलबंद किया गया था।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज कुमार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त //

03. यह कहना गलत है कि प्रपी० 01 के नोटिस की तामिली के अलावा उक्त प्रकरण में मेरा कोई सहभागिता नहीं था। यह कहना सही है कि मेरा कोई जामा-तलासी नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि जसशुदा पदार्थ मादक पदार्थ था या नहीं उक्त संबंध में मेरे द्वारा कोई जांच नहीं किया गया था, साक्षी स्वतः कहता है कि मैं कैसे जांच कर सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष पंचनामा की कोई कार्यवाही नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में वरिष्ठ अधिकारी के बताये अनुसार अपना बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण में मेरा कोई सहभागिता

नहीं था। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को घटना के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था। आज मुझे याद नहीं है कि मैंने घटना दिनांक को अपना बयान दिया था या नहीं।

समय 04.15

सत्य/वांचित/स्वीकृत

सही/-

मनोज कुमार कुशवाहा
न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी
बैकुण्ठपुर स्थान चिरमिरी
जिला कोरिया छ०ग०

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/-

मनोज कुमार कुशवाहा
न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी
बैकुण्ठपुर स्थान चिरमिरी
जिला कोरिया छ०ग०